

अति लघु उद्यमों के लिए
FOR TINY ENTERPRISES

ईकाई एक अति लघु उद्यम है तथा ईकाई की अति लघु उद्यमता

श्रेणी तक बंध है।

बंधता तक बढ़ाई जाती है।

बंधता तक बढ़ाई जाती है।

The unit is a tiny enterprises and its status as 'tiny enterprise is valid upto N.A.

Validity is extended upto.....

Validity is extended upto.....

DIRECTOR OF REGISTRATION
Signature

दिनांक / Date: 23/10/1999

पंजीकरण प्राधिकारी का नाम व पदनाम / Name & Designation of Registering Authority

1. प्रमाण-पत्र आवेदन प्रपत्र पंजीकरण प्रमाण-पत्र का अनिवार्य भाग है।
The endorsed application form is a part of the certificate of registration.

2. प्रमाण-पत्र क्रम संख्या 11 और परिशिष्ट 'क' में उल्लिखित कार्यकलाप / विनिर्माण की मर्दा के लि बंध है तथा ईकाई द्वारा किसी भी अन्य वस्तु के निर्माण/कार्यकलाप के लिए ही बंध है।
The certificate is valid for the items of manufacture/activity noted at S.No II an Appendix 'A' and is also valid for any other item/activity undertaken by the unit.

3. अति लघु उद्यम के रूप में श्रेणी के निर्धारण की बंधता का नवीनीकरण हर 5 वर्ष में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार किया जाना है।

Conferment of the status as a tiny enterprise is to be validated/renewed every five years as per procedure prescribed.

4. यह प्रमाण पत्र आवेदक द्वारा पंजीकरण हेतु आवेदन प्रपत्र के संबंध पंजीकरण शपथ-पत्र के अधीन है।
The certificate is subject to the affidavit furnished by the applicant in respect of the application for registration

5. प्रमाण पत्र पंजीकरण प्राधिकारी द्वारा प्रतिस्थापित किसी या सभी शर्तों के अधीन है।
The certificate is subject to any or all the conditions that may be imposed by the Registering Authority.

6. यदि किसी समय यह पाया जाता है कि आवेदक द्वारा प्रस्तुत घोषणा शपथ पत्र सत्य नहीं है या पंजीकरण प्राधिकारी द्वारा लगाई गई शर्तों का उल्लंघन किया गया है अथवा यदि निवेश निर्धारित सीमा अधिक हो जाता है तो पंजीकरण प्रमाण पत्र बिना किसी पूर्व सूचना के निरस्त/रद्द किया जा सकता है।

If at any time it is found that the declaration/affidavit furnished by the applicant is not true or in the event of violation of any of the conditions imposed by the registering authority or if the investment exceeds the prescribed limit, the registration certificate is liable to be cancelled/quashed without any prior notice.